



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राष्ट्रीय सेवा योजना

email Id :- conssdavv@gmail.com



क्रमांक / रासेयो / कार्या. / 2023-24 / 295

दिनांक :- 20 / 11 / 2023

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक / विभागाध्यक्ष
रा.से.यो. युक्त संस्थाएँ
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय :- दिनांक 26 नवम्बर 2023 को "संविधान दिवस" का आयोजन संबंधी।

सन्दर्भ :- राज्य एन.एस.एस. का पत्र क्रमांक 1005 / 354 / रासेयो / 2023 / 38, भोपाल दिनांक 16 / 11 / 2023।
महोदय,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 26 नवम्बर 2023 को **ऑनलाइन/ऑफलाइन** के माध्यम से "संविधान दिवस-2023" पर कार्यक्रमों का आयोजन दिए गए विषयों/थीम के अनुसार अधिकतम गतिविधियों का आयोजन होना है। विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की समस्त रासेयो युक्त महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान उक्त कार्यक्रम का आयोजन कर कार्यक्रम का विवरण, फोटोग्राफ्स, वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करें एवं संलग्न गुगल लिंक में अपलोड करने का कष्ट करें।

संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण :-

- संविधान दिवस की शपथ
- प्रमुख व्यक्तियों द्वारा संविधान दिवस पर व्याख्यान
- संविधान पर बहस,वार्ता
- रासेयो स्वयंसेवकों के लिये क्विज और निबन्ध लेखन प्रतियोगिता
- संविधान दिवस पर अन्य कार्यक्रम

26 नवम्बर संविधान दिवस की प्रारूप

कं.	कार्यक्रमों के नाम	भागीदारों की संख्या			कुल	लाभान्वित संख्या			कुल
		छात्र	छात्रा	शिक्षक		छात्र	छात्रा	शिक्षक	
01	संविधान दिवस की शपथ								
02	प्रमुख व्यक्तियों द्वारा संविधान दिवस पर व्याख्यान								
03	संविधान पर बहस,वार्ता								
04	रासेयो स्वयंसेवकों के लिये क्विज और निबन्ध लेखन प्रतियोगिता								
05	संविधान दिवस पर अन्य कार्यक्रम								

- संलग्न :- 1. संविधान दिवस की शपथ
2. भारत का संविधान (उद्देशिका)

भवदीय

(डॉ. प्रकाश गढ़वाल)

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

प्रतिलिपि :-

1. राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, मप्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस, क्षेत्रीय निदेशालय, ई-1 / 123, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर सम्भाग, मोती तबेला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला संगठक अपने-अपने जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों से संपर्क कर कार्यक्रम आयोजित करवाने का कष्ट करें।
5. समस्त रासेयो कार्यक्रम अधिकारियों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निज सचिव मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,

निष्ठा-शपथ

शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं भारत एवं संवधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, जो वध द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव के रखूँगा/रखूँगी।

Oath

I take an oath that I will pay my respectful and true allegiance to India and the Constitution, which is established by law and will maintain the universality and integrity of India, and shall keep the work of my office faithfully and honestly and without discrimination / Will keep

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

¹ संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

The Constitution of India

Permeable

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS

CONSTITUTION

The Constitution of India

Permeable

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS

CONSTITUTION